राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 501/2025

शिवचरण मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उपायुक्त एवं शासन उप सचिव–II, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर।
4. ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति नांगल, राजावतान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2025
आदेश की दिनांक : 05.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री टी. सी. व्यास, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से :

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति नांगल, राजावतान, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 09.01.2025 (अनुलग्नक–1) पारित कर अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से पंचायत समिति लाडनू, जिला नागौर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापित स्थान पर 02 वर्ष की सेवा भी पूर्ण नहीं हुई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 236 कि.मी. दूर हैरान व परेशान करने के लिए किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति नांगल राजावतान, जयपुर में कार्य करने दिया जावे।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य

आदेश दिनांक 09.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्यहित में रिक्त पद पर किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। आलोच्य आदेश 09.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है।

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य